U;k;ky; fMohtuy dfe'uj] tk/kiqj
ihBklhu vf/kdkjh % ch- ,y- dkBkjh] vkbZ-,-,l

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 130/2015

vihykUV	बनाम	**jLikMUVl**
1. किशनलाल पुत्र हीरालाल निवासी– 435, बी–1,जनतानगर, चांदखेडा,विभाग,–03, अहमदाबाद।		1. श्रीमती गोदावरी बेवा हीरालाल निवासी– मणिहारी, तहसील– पाली।
2. झूमरमल पुत्र हीरालाल निवासी लाखोटिया तालाब के पास, माहेश्वरी भवन के पास,तहसील पाली		2. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 12.06.2015 न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली जो राजस्व अपील संख्या 14/2014 गोदावरी बनाम किशनलाल वगैराह में पारित किया।

उपस्थिती:——

1. श्री मालमसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री अनोपसिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. श्री ओमप्रकाश चौधरी, राज0 अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।

fu.k;

fnukd% 06-01-2020

1. अपीलान्ट के द्वारा यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धाारा 76 के तहत न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली जो प्रथम राजस्व अपील संख्या 14/2014 अनवान गोदावरी बनाम किशनलाल वगैराह में में पारित निर्णय दिनांक 12.06.2015 के विरूद्व दिनांक 07.08.2019 को प्रस्तुत की गई है।

2. प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि ग्राम मणिहारी के ख0सं0 628 रकबा 64 बीघा 14 बिस्वा, ख0सं0 638 रकबा 15 बिस्वा, ख0सं0 639 रकबा 18 बीघा 04 बिस्वा व ख0सं0 1026 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा कुल चार खसरान भूमि के रकबा 89 बीघा 4 बिस्वा भूमि पूर्व खातेदार रणछोडदास पुत्र कृपाराम ब्रहमण यानि रेस्पो0 संख्या एक के पिता के नाम दर्ज थी। तत्पश्चात उक्त भूमि रणछोडदास से

वर्तमान अपीलान्ट संख्या एक व दो के नाम वसीयत के आधार पर नामा0 संख्या 893 दिनांक 22.6.1986 के जरिये राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गई। उक्त नामान्तरकरण संख्या 893 दिनांक 22.6.1986 के विरूद्ध वर्तमान रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा प्रथम अपील अधिनस्थ प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिस पर प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा प्रथम अपील स्वीकार करते हुए उक्त नामा0 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार पाली को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया गया कि वे राजस्व रेकर्ड व वसीयत अनुसार सही जॉच कर बाद जॉच व सुनवाई के नये सिरे से नामा0 स्वीकृत करने की कार्यवाही करें। प्रथम अपीलीय अधिकारी के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.6.2015 से व्यथित होकर वर्तमान अपीलान्टस ने यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का मूल रेकर्ड एवं रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह निवेदन किया कि ग्राम मणिहारी के ख0सं0 628 रकबा 64 बीघा 14 बिस्वा, ख0सं0 638 रकबा 15 बिस्वा, ख0सं0 639 रकबा 18 बीघा 04 बिस्वा व ख0सं0 1026 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा कुल चार खसरान भूमि के रकबा 89 बीघा 4 बिस्वा भूमि पूर्व खातेदार रणछोडदास पुत्र कृपाराम ब्राहमण यानि रेस्पो0 संख्या एक के पिता के नाम दर्ज थी। तत्पश्चात उक्त भूमि रणछोडदास से वर्तमान अपीलान्ट संख्या एक व दो के नाम वसीयत के आधार पर नामा0 संख्या 893 दिनांक 22.6.1986 के जरिये राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गई।

5. अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने लगभग 28 वर्ष बाद लम्बी म्याद अवधि गुजर जाने के उपरान्त प्रस्तुत की गई प्रथम अपील को बिना किसी आधार के स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त करने योग्य है। रेस्पो0 संख्या एक ने अपीलाधीन नामा0 की जानकारी होने के बावजूद गलत तथ्यों के आधार पर प्रथम अपील पेश की गई थी। इस बाबत अपीलान्ट के द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष विस्तृत जवाब पेश करते हुए कथन किया था कि रेस्पो0 संख्या एक को उल्लेखित वसीयतनामें की जानकारी आरम्भ से ही थी।

6. अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा यह भी निवेदन किया कि रेस्पो0 संख्या एक ने उल्लेखित वसीयतनामे की वैधता को चुनौती नहीं दी गई है एवं न ही वसीयतनामें को संदेहप्रद होना प्रकट किया, केवल मात्र वसीयतनामें के आधार पर पारित नामा0 को बिना सुनवाई के पारित होना उल्लेखित करते हुए प्रथम अपीलीय न्यायालय से खारिज करवाया है एवं अधिनस्थ न्यायालय ने भी वसीयतनामा की विषय वस्तु का हवाला देते हुए उसका पूर्ण रूप से पठन किये बिना ही तथा देरी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना अपील का मैरिट पर सुनवाई करते हुए अपीलाधीन नामा0 को निरस्त किया गया है जो विधि के विपरित है।

7. अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा यह भी निवेदन किया कि अपीलान्टस के पक्ष में किये गये रजिस्टर्ड वसीयतनामें की इबारत से ही वसीयतकर्ता की तमाम चल व अचल सम्पति की वसीयत किया जाना एवं कुल रकबा का उल्लेख किये जाने के बावजूद एक खसरा भूमि मात्र का रकबा गलत टाईप हो जाने को आधार बनाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो नियमों के विपरित पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जावे तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांक 12.6.2015 को निरस्त करते हुए अपीलाधीन नामा0संख्या 893 दिनांक 22.6.1986 को यथावत बहाल रखा जावें।

8. प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट संख्या एक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता के द्वारा यह कथन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्ट के पक्ष में जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वो विधि अनुकूल होने से उचित है जो बहाल रखा जावें क्योंकि रेस्पोडेन्ट के पिता श्री रणछोडदास पुत्र कृपाराम के अपनी खातेदारी की उपरोक्त खसरान भूमि रकबा 64 बीघा 14 बिस्वा में से अपीलान्टस के पक्ष में केवल मात्र 18 बीघा 4 बिस्वा भूमि का ही वसीयतनामा निष्पादित किया गया था परन्तु उक्त वसीयतनामें के आधार पर तहसीलदार के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 893 स्वीकृत करते समय उल्लेखित समस्त खसरान की सम्पूर्ण भूमि का नामा0 अपीलान्टस के पक्ष में दिनांक 22.6.1986 को स्वीकृत कर दिया था जबकि उक्त नामा0 वसीयतनामें में अंकित रकबा भूमि तक ही दर्ज किये जाने तथा स्वीकृत करने योग्य था।

9. रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन नामा0 स्वीकृत करते समय उसे कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और न ही

कोई नोटिस जारी किया गया। रेस्पो0 संख्या एक को अपीलाधीन नामा0 में इस प्रकार से उक्त सम्पूर्ण खसरान की रकबा भूमि दर्ज होने की जानकारी होने पर उसके द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई तथा अपीलाधीन नामा0 को उल्लेखित वसीयतनामे में लिखी गई इबारत के अनुरूप स्वीकृत नहीं किये जाने एवं नियम विरूद्ध स्वीकृत किये जाने के कारण उसे निरस्त कराने का अनुरोध किया गया जिस पर विद्वान जिला कलेक्टर पाली ने रेस्पो0 संख्या एक की प्रथम अपील स्वीकार करते हुए अपीलाधीन नामा0 संख्या 893 दिनांक 22.6.1986 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार पाली को पुनः जॉच व सुनवाई कर नये सिरे से नामा0 स्वीकृत करने की कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया है जो बहाल रखा जावे तथा अपील अपीलान्ट को अस्वीकार की जावें।

10. हमने दोनों पक्षों के द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। विद्वान जिला कलेक्टर पाली के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या एक की प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन नामा0 संख्या 893 दिनांक 22.6.1986 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार पाली को अपीलान्टस के पक्ष में हुई वसीयत अनुसार एवं राजस्व रेकर्ड की जॉच कर व दोनों पक्षकारो की सुनवाई कर नये सिरे से नामा0 स्वीकृत करने हेतु निर्देशित किया गया है वो विधि अनुकूल पारित किया गया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई विधिक त्रृटि नहीं की है। ऐसे में अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं होगा।

11. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के प्रस्तुत अपील अपीलान्टस खारिज की जाती है तथा जिला कलेक्टर पाली के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.06.2015 को यथावत बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 06.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बी0एल0 कोठारी)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर